झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–107 वर्ष 2017

जितेन्द्र लाल गुप्ता, पे0–माने लाल, निवासी–जादो बाबु चौक के नजदीक, डाकघर एवं थाना–हजारीबाग, जिला–हजारीबाग

.... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

रवि शंकर अग्रवाल, पे0–स्वर्गीय रामचन्द्र प्रसाद, निवासी–जादो बाबु चौक, डाकघर एवं थाना–हजारीबाग, जिला–हजारीबाग

.... प्रतिवादी

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री श्री चंद्रशेखर**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री रामावतार चौबे, अधिवक्ता।

प्रतिवादी के लिए :– मो0 साजिद यूनुस, अधिवक्ता।

04 / 19.11.2018 याचिकाकर्त्ता, जो एविक्शन सूट सं0 03 / 2012 में प्रतिवादी हैं, दिनांक 28.07.2016 के आदेश से व्यथित हैं, जिसके द्वारा दिनांक 01.04.2010 के समझौते पर किरायेदार के हस्ताक्षर की जांच के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया है।

2. प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता मो0 साजिद यूनुस के माध्यम से उपस्थित हुए।

3. याचिकाकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रामावतार चौबे ने प्रस्तुत किया है कि अपने लिखित बयान में याचिकाकर्त्ता ने विशेष रूप से 01.04.2010 के कथित समझौते

पर अपने हस्ताक्षर से इनकार किया है और इसलिए उक्त समझौते पर किरायेदार के हस्ताक्षर को सत्यापित करना आवश्यक हो गया है। याचिकाकर्त्ता की ओर से उठाया गया आगे का विवाद यह है कि ट्रायल कोर्ट ने पहले ही एक राय बना ली है कि वादी विवादित परिसर का मालिक है।

4. शुरूआत में यह बताना आवश्यक है कि जिस समय आवेदन दिनांक 07.12.2013 को दायर किया गया था, उस समय सूट में मुद्दों का निपटारा नहीं किए गए थे।

5. दिनांक 28.07.2016 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से पता चलता है कि वादी ने किराया रसीद, होल्डिंग किराया रसीद, सुधार पर्ची आदि प्रस्तुत किया है और इन दस्तावेजों के आधार पर ट्रायल जज ने अपनी अस्थायी राय दर्ज की है कि वादी विवादित परिसर का मालिक है। दिनांक 01.04.2010 के समझौते को प्रतिवादी–किरायेदार द्वारा निष्पादित किया गया है या नहीं, यह साबित करने के लिए मुख्य रूप से वादी की जिम्मेदारी है। यदि दोनों पक्षों के साक्ष्य दिनांक 01.04.2010 के समझौते पर अनिर्णायक रहते हैं और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि विवादित मामले को स्पष्ट करने के लिए सी0पी0सी0 के आदेश XXVI नियम 10–ए के तहत वैज्ञानिक जांच के लिए आयोग की आवश्यकता है या विशेषज्ञ की राय आवश्यक है, समझौते पर हस्ताक्षर एक प्रतिवेदन के लिए भेजा सकता है। जाहिर है, इस स्तर पर जब पार्टियों को अपने साक्ष्य प्रस्तुत करना बाकी है, प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन पूर्व–परिपक्व था।

6. उपरोक्त, तथ्यों में, दिनांक 28.07.2016 के आक्षेपित आदेश में कोई दोष नहीं पाए जाने पर रिट याचिका का खारिज की जाती है, हालांकि, जैसा कि यहाँ उपर बताया गया है, सी0पी0सी0 के आदेश XXVI नियम 10–ए के तहत एक आवेदन प्रतिवादी द्वारा दायर किया जा सकता है जब पार्टियों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया जा चुका है लेकिन रखे गए साक्ष्य दिनांक 01.04.2010 के समझौते के निष्पादन पर अनिर्णायक है।

(श्री चंद्रशेखर, जे0)